प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छयालीस'

प्रश्न सं. [क्र. 1876]

[22/3/2018]

हो गई थी। इसके नवीकरण कराये जाने के पूर्व दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना के समय ड्राइवर चालन के लिये निरर्हित नहीं थी। बीमा कंपनी दायी मानी गई। (1979 ए.सी.जे. 526)

दुर्घटना के उपरांत अनुज्ञप्ति नवीकृत हुई थी। यद्यपि इसके द्वारा अनुज्ञप्ति उस समय से प्रभावी होना मानी गई थी जबकि अपराध कारित हुआ था। अभियुक्त दोषसिद्धि के लिये दायी नहीं माना गया। (1943 क्रि.लॉ ज. 778)

14. प्राधिकृत ड्राइवर की उपेक्षा– प्राधिकृत ड्राइवर की उपेक्षा के कारण पर व्यक्ति ने जिसके पास चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, यान का चालन किया था। इन परिस्थितियों में बीमा कंपनी का दावा स्थिर रखने योग्य पाया गया। (ए.आई.आर. 1979 आंध्रप्रदेश 75)

15. दुर्घटना स्थल पर अनुज्ञप्ति न मिलने का प्रभाव– दुर्घटना स्थल पर अनुज्ञप्ति पत्र न मिलने को अनुज्ञप्ति न होने के रुप में नहीं माना गया। **(महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम बाबूलाल, 1985 ए.सी.जे– 282:नि.प. 1985 बंबई 172 खंडपीठ)**

16. अनुज्ञप्ति न होने बाबत ड्राइवर की स्वीकृति का प्रभाव– यदि ड्राइवर यह स्वीकृति देता है कि उसके पास अनुज्ञप्ति नहीं थी तो इस स्वीकृति के विधिक प्रभाव की विवेचना की गई। यह व्यक्त किया गया कि ड्राइवर की स्वीकृति से दावेदारगण आबद्ध नहीं होंगे। (1981 टी.ए.सी. 232)

17. कूट रचित अनुज्ञप्ति का तर्क अमान्य– बीमा कंपनी ने यह तर्क दिया गया था कि मूल चालन अनुज्ञप्ति कूटरचित थी अतः यदि इसका विधिमान्य तौर पर नवीनीकरण भी हुआ था तो वह दायी नहीं होगी। अधिकरण ने यह अभिनिर्धारित किया था कि चालक के पास विधिमान्य अनुज्ञप्ति थी और इसका विधिमान्य तौर पर नवीनीकरण हो गया था। इस निष्कर्ष को अपील में पुष्ट भी किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका में इनकी पुष्टि की। बीमा कंपनी को दायी माना गया। **(नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. बनाम संतरो देवी, 1998 ए.सी.जे. 116 सु.को.)**

18. धारा 3 की अपेक्षा अनुसार पृष्ठांकन का अभाव– दुर्घटना ट्रांसपोर्ट वाहन से हुई थी। चालक के पास भारी मोटरयान/ट्रांसपोर्ट वाहन चलाए जाने की चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। मोटरयान अधिनियम की धारा 3 की अपेक्षा अनुसार पृष्ठांकन का भी अभाव था। इन परिस्थितियों में बीमा कम्पनी दायी नहीं मानी गई। प्रकरण में निम्न न्याय दृष्टांत को सुभिन्न किया गया–

नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह, 2004 (1) एस.एल.टी. 343:2004 (1) ए.सी.सी. 1:2004 (3) सु.को.के. 297

(न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रभु लाल, 2008 (1) सी.पी.जे. 1 सु.को.)

4. मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा– (1) कोई भी व्यक्ति, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगाः

परंतु कोई व्यक्ति सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान में (50 सी.सी. से अनधिक क्षमता के साथ) मोटर साइकिल चला सकेगा।

(2) धारा 18 के उपबंधों के अधीन रखते हुए, कोई भी व्यक्ति, जो बीस वर्ष से कम आयु का है, किसी सार्वजनिक स्थान में परिवहन यान नहीं चलाएगा।

(3) कोई शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति या चालन–अनुज्ञप्ति उस वर्ग के जिसके लिए उसने आवेदन किया है, किसी यान को चलाने के लिए किसी व्यक्ति को तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह इस धारा के अधीन उस वर्ग के यान को चलाने के लिए पात्र नहीं है।

टिप्पणी

1. **तत्समान पूर्व विधि**
2. **आयु**
3. **अनुज्ञापन प्राधिकारी की ओर से अनभिज्ञता - प्रभाव**
4. **उपबंध के विरूद्ध नियम का प्रभाव**
5. **अवयस्क द्वारा चालन**

1. तत्समान पूर्व विधि- इस अधिनियम की धारा 4 के उपबंध के तत्समान पूर्व विधि मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा- 4 में उपबंधित थी।

2. आयु - उपबंध में वर्णित आयु से कम आयु अभियुक्त की थी यह सिद्ध किया जाना चाहिये।[77]

यदि ड्राइवर के पास विधिक अनुज्ञप्ति है परन्तु उपबंध में दर्शित आयु सीमा से कम आयु है तो वह इस उपबंध का उल्लंघन करने वाला समझा जावेगा।[78]

3. अनुज्ञापन प्राधिकारी की ओर से अनभिज्ञता - प्रभाव- उपबंधित आयु से कम आयु के व्यक्ति को परिवहन यान चलाने की अनुज्ञप्ति धारित होने पर भी उपबंध का उल्लंघन होना माना जायेगा परन्तु यह भी स्पष्ट किया गया कि उसका कृत्य अनुज्ञापन प्राधिकारी के भाग पर अनभिज्ञता के परिणाम में हो तो विधि का उल्लंघन होने पर भी दण्ड आरोपित करना उचित नहीं होगा।[79]

4. उपबंध के विरूद्ध नियम का प्रभाव- राज्य का नियम उपबंध के विरुद्ध होने पर विधिमान्य प्रभाव नहीं रखेगा।[80]

5. अवयस्क द्वारा चालन- यदि पिता की अनुमति से विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति धारित न करने वाले अवयस्क यान चलाते हुये दुर्घटना कारित कर देता है तो ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी के दायित्व पर विचार किया गया। बम्बई उच्च न्यायालय ने एक प्रकरण में इस प्रकृति के तथ्यों में बीमा कम्पनी को दायी ठहराया।[81]

बम्बई उच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण में निम्न न्याय दृष्टान्तों पर निर्भरता व्यक्त की—

1987 ए.सी.जे. 56 सु.को.
1988 ए.सी.जे. 585 "-"
1987 ए.सी.जे. 790 "-"
1987 ए.सी.जे. 346 "-"

5. धारा 3 और धारा 4 के उल्लंघन के लिए मोटर यानों के स्वामियों का उत्तरदायित्व– मोटर यान का कोई भी स्वामी या भारसाधक व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति से, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता है, न तो यान चलवाएगा न उसे चलाने की अनुज्ञा देगा।

टिप्पणी

1. **तत्समान पूर्व विधि**
2. **बीमाकर्ता का दायित्व**
3. **शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति-धारी द्वारा दुर्घटना के संबंध में दायित्व**
4. **वैधानिक नियमों के उल्लंघन में यात्रियों को लिफ्ट देना- प्रभाव**
5. **पॉलिसी की शर्त का सिद्ध करने का कर्तव्य**

1. तत्समान पूर्व विधि - वर्तमान मोटर यान अधिनियम की धारा 5 के उपबंध के तत्समान पूर्व विधि मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 5 में उपबंधित थी।

77 *एआईआर 1955 एन.ए.सी. (5020) (राजस्थान उच्च न्यायालय)*